रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 246] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 5, 2016/चैत्र 16, 1938
No. 246] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 5, 2016/CHAITRA 16, 1938

IndiaCode

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 2016

सा.का.नि. 397(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (दस्तावेजों और प्ररूपों को प्रसारणीय कारबार रिपोर्ट भाषा में फाइल करना) नियम, 2015 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1.**संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** :- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (दस्तावेजों और प्ररूपों को प्रसारणीय कारबार रिपोर्ट भाषा में फाइल करना) संशोधन नियम, 2016 है ।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. कंपनी (दस्तावेजों और प्ररूपों को प्रसारणीय करबार रिपोर्ट भाषा में फाइल करना) नियम, 2015 के नियम 3 में, परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् -

''परंतु यह कि बैंककारी, बीमा, विद्युत क्षेत्र, गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों और आवास वित्त कंपनियों के लिए इस नियम के अधीन वित्तीय विवरण फाईल करना अनिवार्य नहीं है ।'' ।

[फा. सं. 1/19/2013-सीएल.V]
अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियमों अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 692(अ), दिनांक 09.09.2015 द्वारा अधिसूचित किए गए थे ।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th April, 2016

G.S.R. 397(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 469 read with section 398 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Filing of Documents and Forms in Extensible Business Reporting Language) Rules, 2015, namely:-

1. Short title and Commencement:- (1) These rules may be called the Companies (Filing of Documents and Forms in Extensible Business Reporting Language) Amendment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Filing of Documents and Forms in Extensible Business Reporting Language) Rules, 2015, in rule 3, for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

"Provided that the companies in banking, insurance, power sector, non-banking financial companies and housing finance companies need not file financial statements under this rule.".

[F. No. 1/19/2013-CL-V]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

Note.- The principal rules were notified vide notification number GSR 692(E) dated 09.09.2015.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.